संख्या-5/2019/235/83-19-7बजट/18टीसी

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये नागरिक सुरक्षा संगठन के वेतन भत्ते आदि हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अधीन लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0301-सामान्य, लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0302-सामान्य भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत तथा लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03-राज्य मुख्यालय स्थापना-0305-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25 प्रतिशत, भा0स0 द्वारा प्रतिपूर्ति) के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-1977.89 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख नवासी हजार मात्र) में से धनराशि रू0-1926.56 (रू0 उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1- आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।
2- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।
3- प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत- यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इस प्रकार नियोजित किया जाय, जिससे आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रत्येक माह के व्यय की मदवार एवं जनपदवार सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यता शासन तथा वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-12 को बी0एम0-13 पर उपलब्ध करा दें।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- व्यय की तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/ 2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जाचं के लिये उपलब्ध रहेगा।यह लेखा कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019//बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

राजन शुक्ला
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या- /2019/235(1)/83-19-7बजट/18टीसी, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (बजट) अुनभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- /2019/235(1)/83-19-7बजट/18टीसी दिनांक 08 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

शीर्षक/मद	कुल बजट प्राविधान (धनराशि हजार रूपए में)	आवंटित की जानी वाली धनराशि (धनराशि लाख रूपये में)
1	2	3
अनुदान संख्या-27-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा- 03 राज्य मुख्यालय स्थापना 0301-सामान्य		
1-वेतन	51.56	12.66
03-महंगाई भत्ता	7.73	3.00
04-यात्रा व्यय	0.50	0.30
07-मानदेय	0.50	0.20
08-कार्यालय व्यय	1.00	0.70
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर/सॉफटवेयर का क्रय	1.05	1.05
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
49-चिकित्सा व्यय	0.50	0.10
51-वर्दी व्यय	0.01	0.01
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5.00	1.00
55-मकान किराया भत्ता	3.00	1.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	0.50
योग-0301	**73.35**	**22.02**
0302-भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत		
01-वेतन	160.00	160.00
03-महंगाई भत्ता	24.00	24.00
04-यात्रा व्यय	2.50	2.50
05-स्थानान्तरण का व्यय	1.50	1.50
06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
07-मानदेय	0.10	0.10
08-कार्यालय व्यय	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.50	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
13-टेलीफोन व्यय	0.50	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	5.00	5.00
42-अन्य व्यय	0.30	0.30
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	0.20	0.20
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.60	1.60
49-चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
51-वर्दी व्यय	0.05	0.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	8.90	8.90
55-मकान किराया भत्ता	25.74	25.74
56-नगर प्रतिकर भत्ता	6.68	6.68
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	45.00	45.00
योग-0302	**292.57**	**292.57**
05-प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति)-0501-सामान्य		
01-वेतन	1200.00	1200.00
02-मजदूरी	4.50	4.50
03-मंहगाई भत्ता	180.00	180.00
04-यात्रा व्यय	3.00	3.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
07-मानदेय	0.05	0.05
08-कार्यालय व्यय	2.50	2.50
09-विद्युत देय	10.00	10.00
10-जलकर/जलप्रभार	1.20	1.20
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00	2.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13-टेलीफोन व्यय	3.00	3.00
15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	7.00	7.00
16-व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	1.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.60	2.60
26-मशीन और सज्जा उपकरण और संयंत्र	3.40	3.40
29-अनुरक्षण	2.00	2.00
42-अन्य व्यय	1.00	1.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.00	7.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	2.50	2.50
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का व्यय	2.00	2.00
49-चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
51-वर्दी व्यय	0.01	0.01
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	68.71	68.71
55-मकान किराया भत्ता	60.00	60.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	15.00	15.00
योग-0501	**1611.97**	**1611.97**
महायोग 0301+0302+0501	**1977.89**	**1926.56**

रूपये उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार मात्र।

(सुनील यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in